

प्रेस विज्ञप्ति  
प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-मुबारकपुर

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल तथा एक अदद देशी तमन्चा व कारतूस के साथ दो अभियुक्त  
गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थ/अवैध असलहा तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 9.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर के सतत पर्यवेक्षण में उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराहियान द्वारा चेकिंग के दौरान इस्लामपुरा के पास से समय करीब 17.40 बजे दो अभियुक्त 1 राजन शर्मा पुत्र जयराम शर्मा निवासी सिधारी हाईडिल पठान टोला थाना सिधारी आजमगढ़ 2. अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी दौलतपुर बैठौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से एक अदद चोरी की ग्लैमर मोटरसाइकिल तथा एक अदद देशी तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 209/20 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण-अभियुक्तगण से पुछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त राजन शर्मा ने लगभग डेढ साल पहले कस्बा मुबारकपुर के घास मण्डी से यह मोटरसाइकिल चोरी की थी तभी से अब तब नम्बर प्लेट बदलकर चलाता है ताकि पुलिस से बच सके। जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 131/19 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ था।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0209/20 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. राजन शर्मा पुत्र जयराम शर्मा निवासी सिधारी हाईडिल पठान टोला थाना सिधारी आजमगढ़
2. अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी दौलतपुर बैठौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. अभियुक्त राजन शर्मा के कब्जे से एक अदद ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद।
2. अभियुक्त अमन सिंह के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ.नि. कमल नयन दूबे प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर मय हमराह थाना मुबारकपुर आजमगढ़